न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 15/2022

अपीलांट्स – *__बनाम__* **रेस्पोडेंट –**

1. ताजाराम पुत्र मुकनाराम
2. लीलाराम पुत्र मुकनाराम
3. लहरोंदेवी पत्नी मुकतनाराम
4. पुरखाराम पुत्र भारताराम
5. उमाराम पुत्र भारताराम

जातियान भील निवासी रामदेवरा
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 35 दिनांक 16.11.2010 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 12.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 35 दिनांक 16.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रामदेवरा के खेत खसरा नम्बर 44 व 45 रकबा क्रमशः 1–01 बीघा एवं 221–13 बीघा कुल रकबा 222–14 बीघा के सहखातेदारान उमाराम, मुकनाराम, पुरखाराम पि0 भारताराम कौम भील सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सिणधरी के समक्ष पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी सहमति से खातेदारी भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पायला खुर्द द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है मौके पर खातेदारान विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 35 दिनांक 16.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.03.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 44 व 45 रकबा क्रमशः 01–01 बीघा एवं 221–13 बीघा कुल रकबा 222–14 बीघा ग्राम रामदेवरा पटवार मण्डल पायलां खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है जिस पर अपीलांट्स अपने हिस्से अनुसार रहवासी ढाणी, पानी का टांका, मवेशियों का बाड़ा तथा चारे की कराई आदि कदीम से बने हुए हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में शिविर स्थल पर सहमति प्रकट करते हुए पटवारी पायलां खुर्द के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर अंगुष्ठ निशान कर दिये। पटवारी द्वारा अपने स्तर पर आवेदन तैयार करने एवं नक्शे में रंग मौके की पैमाईश करने पर अंकित करने के आश्वासन पर अपीलांट्स ने समस्त कागजात पटवारी को सौंप दिये। इसके पश्चात विभाजन आदेश के पारित होने, लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित होन एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन होने की कोई जानकारी अपीलांट्स को नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा नक्शे में आवंटित भू–भाग की स्थिति से अवगत करवाये बिना ही पटवारी की सलाह मात्र से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही अपीलांट्स खेत खसरा नंबर 45 पर पूर्व में आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त करते हैं जबकि अपीलाधीन आदेश मौके पर विभाजन प्रस्ताव से बेमेल है। अपीलाधीन भूमि के नजदीक आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 47 में चलता है जबकि अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित करने से आवागमन के रास्ते का लाभ सभी पक्षकारों को नहीं हो रहा है जो कि सुखाचार की नीति के विरूद्ध है। मौके पर अपीलाधीन भूमि के किनारे पर नाडी का [illegible] आया हुआ [illegible] सभी खातेदार को नाडी की सुविधा अनुसार बंटवाडा किया हुआ है। अपीलाधीन [illegible] विभाजन में नाडी के किनारे पर केवल एक खातेदार [illegible] खातेदार को नाडी की सुविधा नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलांट्स की अशिक्षा एवं वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाते हुए अपीलाधीन आदेश में [illegible]के के अनुसार विभाजन नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया है और सभी पक्षकारान के घर प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी निवेदन किया कि कुछ समय पूर्व तहसील का रेकर्ड ऑनलाईन होने पर और अपने खेत में टांका बनाने के लिए जब अपीलांट्स ने नकल के लिए आवेदन किया तब ही उन्हें मौके अनुसार बंटवाडा नहीं होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलांट्स ने दिनांक 17.12.20221 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प पायलां कला में प्रार्थना–पत्र देकर अपनी तरमीम सही करने का निवेदन किया और तहसीलदार सिणधरी से दिनांक 20.01.2022 को अपने विभाजन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, पटवारी से जमाबंदी की प्रति लेने पर ही गलत विभाजन की जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने से सम्यक् तत्परता के साथ यह अपील पेश की गई है, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी का मौके पर कब्जा अनुसार नये सिरे से विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट प्रफॉर्मा पक्षकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रामदेवरा के खेत खसरा नम्बर 44 व 45 रकबा क्रमशः 1–01 बीघा एवं 221–13 बीघा कुल रकबा 222–14 बीघा के सहखातेदारान उमाराम, मुकनाराम, पुरखाराम पि0 भारताराम कौम भील सा0 देह ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पायला खुर्द द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 35 दिनांक 16.11.2010 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेंट द्वारा नक्शे में आवंटित भू–भाग की स्थिति से अवगत करवाये बिना ही पटवारी की सलाह मा[illegible]लाधीन आदेश पारित किया है। साथ ही अपीलांट्स खेत [illegible] 45 [illegible] आपसी सहमति से किये विभाजन अनुसार काश्त [illegible]ाधीन आदेश मौके पर विभाजन प्रस्ताव से बेमेल है। अपीलाधीन भूमि के नज[illegible]क आवागमन का रास्ता खसरा नंबर 47 में चलता है जबकि अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित करने से आवागमन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रास्ते का लाभ सभी पक्षकारों को नहीं हो रहा है जो कि सुखाचार की नीति के विरूद्ध है। मौके पर अपीलाधीन भूमि के किनारे पर नाडी का खसरा आया हुआ है तथा तीनों खातेदार को नाडी की सुविधा अनुसार बंटवाडा किया हुआ है। अपीलाधीन विभाजन में नाडी के किनारे पर केवल एक खातेदार का खेत रखा गया है एवं अन्य खातेदार को नाडी की सुविधा नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के समस्त पक्षकारान ने इस अपील के द्वारा अपीलाधीन आदेश को मौका–कब्जा एवं सुखाचार की सुविधा के विपरीत होने से सहमति से अपास्त करने का निवेदन किया है एवं प्रकरण को पुनः तहसीलदार सिणधरी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका–कब्जा एवं रास्ते इत्यादि के सुखाचार की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 35 दिनांक 16.11.2010 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका–कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:15 IST
Reason: SelfAttested